न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 20/2022 (अपील)
GCMS No. 2022/44

अनवान

1. श्री नारायणलाल पिता मोहनलाल त्रिवेदी, निवासी ब्राह्मणों का कलवाना, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर ।
2. श्री सुखदेव उर्फ सुखलाल पिता मोहनलाल त्रिवेदी, निवासी ब्राह्मणों का कलवाना, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सायरा, तहसील गोगुन्दा ,जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील बनाराजगी निर्णय उप तहसीलदार सायरा, प्र.स. 9/2021 निर्णय दिनांक 30.12.2021

* निर्णय *

दिनांक– 12-08-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सायरा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर बप्रकरण संख्या 09/2021 निर्णय दिनांक 30.12. 2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का ब्राह्मणों का कलवाना उपतहसील सायरा की आराजी संख्या 1739 रकबा क्रमशः 0.0250 हेक्टेयर, बाबत् उप तहसीलदार सायरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, के तहत अपीलान्ट्स को नोटिस प्रदान किया गया, जिस पर अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि उक्त जमीन पर 48 वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, तथा उक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे द्वारा तत्कालीन आवन्टन अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा दिनांक 23.01.1975 को अपीलान्ट संख्या 1 को तथा उसकी बहिन शान्ता देवी को आवन्टित की गई, तब से उक्त जमीन पर लगातार बिना किसी दखल के स्वतन्त्रतापूर्वक आधिपत्य चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा मकान का निर्माण कर निवास किया जा रहा है, तथा शेष खुली हुई भूमि पर पत्थरों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

बाउण्ड्रीवॉल बनाई हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 2 जो कि हाल उदयपुर में निवास करता है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में न तो उसका कब्जा है, न ही उक्त भूमि से उसका कोई लेना देना है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर निर्णय पारित फरमाया गया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया । यह कि अपीलान्ट्स उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने को तैयार थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया। यह कि अपीलान्ट्स विधिवत् आधिपत्यधारी है तथा अपीलान्ट् संख्या 1 को विधिवत् आवन्ट्न अधिकारी द्वारा भूमि आवन्टित की गई, तब से काबिज चला आ रहा है। तथा उक्त भूमि आबादि के क्षेत्र में आती है तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग 48 वर्षो से बिना किसी दखल के स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय को प्रथम दृष्टया निरस्त फरमाया जावे। यह कि उक्त भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा भारी लागत, भारी मेहनत बनाकर निवास किया जा रहा है तथा उक्त मकान में पानी एवं बिजली के कनेक्शन लिए हुए है तथा परिवार सहित निवास कर रहा है तथा अपीलान्ट् संख्या 1 सन् 1975 से आवन्टन होने के पश्चात् काबिज चला आ रहा है अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा प्रदान किये गये निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में उपतहसीलदार सायरा द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 09/2021 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं उक्त भूमि को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पट्टे द्वारा तत्कालीन आवन्टन अधिकारी, गोगुन्दा द्वारा दिनांक 23.01.1975 को अपीलान्ट संख्या 1 को तथा उसकी बहन श्रीमती शान्ता देवी को आवन्टित की गई। इस प्रकार अपीलान्ट का सन् 1975 से पूर्व का पुराना कब्जा होना, अपीलान्ट का अतिक्रमी न होकर पट्टे से काबिज होना, प्रकरण राजनैतिक द्वेषता की वजह से होना बताया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब रिकार्ड पर नहीं लिया गया तथा पत्रावली में शामिल नहीं किया गया। नियमन कमेटी द्वारा पत्रावली पर गौर कर निर्णय न करना आदि आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर कब्जा नियमन करने हेतु अनुरोध किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर अपीलान्ट का 1975 से पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने का अपीलान्ट अधिकारी हैं। अपीलान्ट द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। ग्राम पंचायत सायरा द्वारा श्री नारायणलाल को उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया था, जिससे उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा साबित होता हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन करने मे कोई विधिक बाधा नहीं है। इसलिये उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 को निरस्त किया जावे एवं भूमि अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन करने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष रखने हेतु उपतहसीलदार सायरा को निर्देशित करावें।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न नजीरे पेश की गई।

1. 2016 (1) RRT 597
2. 2004 (1) RRT 218
3. अधिसुचनाएँ एवं परिशिष्ट
4. राजस्थान पत्रिका दिनांक 15.07.2022

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा ब्राह्मणों का कलवाना, सायरा, तहसील गोगुन्दा की हाल आराजी संख्या 1739 रकबा 0.0250 हेक्टेयर किस्म बाडा, चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पत्थर की कच्ची कोट एवं कांटे डाल कर नाजायज कब्जा करने की पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री नारायणलाल, श्री सुखलाल पिता श्री मोहनलाल त्रिवेदी को दिनांक 30.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया। 30.12.2021 को श्री नारायणलाल, श्री सुखलाल पिता श्री मोहनलाल त्रिवेदी उपस्थित हुए एवं आराजी न. 1739 रकबा 0.0250 पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। भूमि की किस्म चारागाह है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियों पर किये जाने वाले आवंटन को अवैध माना हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट के पक्ष मे नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 को यथावत रखा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं [illegible] द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों [illegible] का गंभीरता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व

ग्राम ब्राह्मणों का कलवाना, सायरा की आराजी संख्या 1739 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, किस्म बाडा, चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने का उल्लेख किया है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चारागाह है एवं जो तथाकथित आवंटन पत्र पेश किया है वह किस अधिकारी द्वारा आवंटन है स्पष्ट नहीं है उसका खसरा नम्बर भी स्पष्ट नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No.3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। जहॉ तक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा जारी वादग्रस्त स्थल की मौका स्थिति बनाये रखने के आदेश का प्रश्न है उक्त आदेश/अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर अंकित नहीं है तथा आवासीय मकान के संबंध में आदेश है। माननीय सिविल न्यायालय अपनी अधिकारिता में विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु स्वतन्त्र है लेकिन उससे तहसीलदार के खसरा न. 1739, चारागाह भूमि के संबंध में जारी आदेश दिनांक 30.12.2021 की अपील को सुनने हेतु बाधित नहीं करता है तथा अपीलार्थी की ऐसी कोई अपील भी नहीं है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.09.22 10:24:26 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर